न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गंगाधर मीणा (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	आदेश दिनांक
76 / 2020	03.07.2020	28/03/2022

उनवान

1. सतेन्द्र पुत्र श्री बलवन्त सिंह
2. जितेन्द्र पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति अहीरान निवासी ग्राम दाईका (बीबीरानी) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थी / वादीगण

बनाम

1. हीरा पुत्र श्री हरदेव
2. कंवरसिह
3. चिरन्जीलाल
4. बलवन्तसिंह
5. राजेन्द्र पुत्रान हीरा
6. राजेश पुत्री हीरा
7. सरोज पत्नी वेदप्रकाश
8. सरोज पुत्री वेदप्रकाश
9. रवि पुत्र वेदप्रकाश पुत्र श्री हीरा जाति अहीरान निवासीयान ग्राम दाईका (बीबीरानी) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
10. मनोज पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम सारनवास तहसील कोटकासिम
11. राजवीर पुत्र लालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम गुणसार
12. गजराज पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम भोजराजका
13. रतिराम पुत्र रामजीलाल
14. गीता पुत्री सोहन
15. सविता पुत्री सोहन
16. राजवीर पुत्र हजारी जाति अहीरान निवासीयान ग्राम दाईका (बीबीरानी)
17. लालाराम पुत्र हरिसिंह जाति अहीर ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम
18. साधुलाल पुत्र श्री डुँगरसिह जाति अहीर निवासी ग्राम दाईका (बीबीरानी) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
19 पंजाब नैशनल बैक शाखा पुर जरिये शाखा प्रबंधक पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
20. उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
21 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

22. मनीष
23. सोमता
24. कौशल्या
25. मनोज पुत्रीयान श्री बलवन्त सिंह जाति अहीरान निवासीयान ग्राम दाईका (बीबीरानी) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1– श्री भगत सिंह चौधरी – वकील प्रार्थी
2– श्री सुनिल यादव – वकील अप्रार्थीगण

.....

–: आदेश :–

दिनांक :– 28/05/2022

1. प्रार्थीगण का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :–

आराजी हाल खसरा नम्बर 412/0.2300 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2300 है0 मुताबिक खाता संख्या 18, आराजी हाल खसरा नम्बर 65/0.4700 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4700 है0 मुताबिक खाता संख्या 19, आराजी हाल खसरा नम्बर 38/0.5300 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5300 है0 मुताबिक खाता संख्या 20, आराजीयात खसरा नम्बर 280/0.2200, 48/416/0.1300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3500 है0 मुताबिक, खाता संख्या 21, आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 102/0.0600, 133/0.1100, 175/0.1300, 187/0.2300, 201/0.1000, 235/0.1200, 27/0.4600, 293/0.2000, 311/0.1300, 370/0.3900, 90/0.1200, 98/0.0300 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.0800 है0 मुताबिक खाता संख्या 23, आराजी खसरा नम्बर 22/0.3800 है0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.3800, मुताबिक खाता संख्या 59, आराजी हाल खसरा नम्बर 215/0.2000 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2000 है0 मुताबिक खाता संख्या 67 वाके ग्राम दाईका (बीबीरानी) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो कि इस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। विवादित आराजीयात मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगणों की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूक बाई बर्थ निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का सगा दादाजी है व प्रतिवादी संख्या 4 मिन वादीगणो व तरतीबी प्रतिवादीगणो का सगा पिताजी है। प्रतिवादी सं0 1 को विवादित आराजीयात मिन वादीगण के पडदादाजी हरदेव की विरासत से प्राप्त हुई है। परिवार का कर्ता–धर्ता व मुखिया होने के कारण विवादित आराजीयात जमाबन्दी मुताबिक हिस्सा के प्रतिवादी सं0 1 के नाम ही राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो रही है। पारिवारिक सजरा निम्न पेश है:–

हरदेव (फौत)

.....

लीला सोहन हीरा

|

.....

कंवरसिंह चिरन्जीलाल वेदप्रकाश बलवन्त राजेन्द्र राजेश छाजिया (लावल्दफौत)

(पुत्रान) पुत्री पुत्र

.....

सतेन्द्र जितेन्द्र मनीषा सोमता कौशल्या मनोज

(पुत्रान) (पुत्री)

वेदप्रकाश (फौत)

.....

सरोज	रवि	सुनीता
(पत्नी)	(पुत्र)	(पुत्री)

प्रतिवादी संख्या 1 काफी जाईफ उम्र का करीब 90 साल का हो चुका है। अपना व अपने परिवार का भला–बुरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। अपनी गलत आदतो में ग्रस्त है। दीगर लोगो के व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजीयात को दीगर लोगो को बेचान कर मिन वादीगणो व तरतीबी प्रतिवादीगणो को उनकी दादालाई आराजीयात के उपयोग–उपभोग से वंचित करना चाहता है। जबकी विवादित आराजीयात मिन वादीगणो व तरतीबी प्रतिवादीगणो की दादादलाई आराजीयात है। जिसमें मिन वादीगणो व तरतीबी प्रतिवादीगणो के हक हकूक बाई बर्थ निहित है। विवादित आराजी मुताबिक खाता संख्या 18 में प्रतिवादी संख्या 7/18 भाग में से प्रतिवादी संख्या 4 का 7/128 भाग है, प्रतिवादी संख्या 4 के इस 7/126 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता संख्या 19 में प्रतिवादी संख्या 1 के 7/18 भाग में से प्रतिवादी संख्या 4 का 7/126 भाग है, प्रतिवादी संख्या 4 के इस 7/16 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता संख्या 20 में प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 भाग में से प्रतिवादी संख्या 4 का 1/21 भाग है, प्रतिवादी संख्या 4 के इस 1/21 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर व विवादित आराजीयात मुताबिक खाता संख्या 21 में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 भाग में से प्रतिवादी संख्या 4 का 1/21 भाग है, प्रतिवादी संख्या 4 के इस 1/21 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर व विवादित आराजीयात मुताबिक खाता संख्या 23 में प्रतिवादी संख्या 1 के 7/18 में से प्रतिवादी सख्या 4 का 7/126 भाग है, प्रतिवादीगण संख्या 4 के इस 7/126 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता संख्या 59 में प्रतिवादी संख्या 1 के 7/18 भाग में से प्रतिवादी संख्या 4 का 7/126 भाग है, प्रतिवादी संख्या 4 के इस 7/126 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता संख्या 67 में प्रतिवादी संख्या 1 के 7/18 भाग में से प्रतिवादी संख्या 4 का 7/126 भाग है, प्रतिवादी संख्या 4 के इस 7/126 भाग में से मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 6/7 भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणो व तरतीबी प्रतिवादीगणो का वास्तविक कब्जा काश्त है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30.06.20 को मिन वादीगणो को ऐलानिया तोर पर धमकिया दी कि मै विवादित आराजीयात समस्त में अपने समस्त हक हिस्से का बेचान दीगर लोगो को कर तुम्हे तुम्हारी दादालाई आराजीयात के उपयोग–उपभोग से वंचित कर दूँगा व अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 ने भी मिन प्रार्थीगण/वादीगणो से कहा कि हम अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को अपने कब्जे में लेकर उसे बहकाकर विवादित आराजीयात में जो उसका हक हिस्सा है उस समस्त हक हिस्से को दीगर लोगो को बेचान करावायेगे। एवं बाकी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगणो से विवादित

आराजीयात का तकासमा कर अलग खाता कायत करवाने हेतु निवेदन किया तो वो साफ इंकार हो गये और विवादित आराजीयात को दीगर लोगो को बेचाने करने की धमकिया दी। यदि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण/वादीगणो व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपनी दादालाई आराजीयात के उपयोग–उपभोग से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमाबाजी में फसना पडेगा। अपूरनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही आकि जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थीगण/वादीगण, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगणो को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 412/0.2300, 65/0.4700, 38/0.5300, 280/0.2200, 48/0.1300, 102/0.0600, 133/0.1100, 175/0.1300, 187/0.2300, 201/0.1000, 235/0.1200, 27/0.4600, 293/0.2000, 311/0.1300, 370/0.3900, 90/0.0300, 22/0.3800, 215/0.2000 है0 वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 कही दीगर जगह रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगणो के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना ही विवादित आराजीयात के किसी भी जूज प किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का नवीन निर्माण कार्य करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी संख्या 20 उप–पंजियक, कोटकासिम, विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार से दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी सं0 01 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :– यह सही है कि विवादित आराजी ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है। वादीगण ने सजरा पेश किया गया है वह सही नही है। उपरोक्त आराजी स्वयं मिन प्रतिवादी की पैदा कर्दा आराजी है। जिससे वादीगण का कोई लेना देना सम्बध वो सरोकार नही है। वादीगण ने जानबूझकर मिन प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से तथा मिन प्रतिवादी से उसकी स्वयं की पैदा कर्दा आराजी को हडप करने की नियत से न्यायालय श्रीमान में यह मिथ्या वाद पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता हरदेव से विरासत से प्राप्त हुई थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हीरा वादीगण का सगा दादा है। जिसकी अधिक उम्र हो जाने के कारण सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो चुकी है। वह किसी के भी बहकावे में आकर जमीन का बेचान कर सकता है। वादीगण की दादालाई संपति होने के कारण प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 हीरा 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है एवं परिवार का मुख्या होने के नाते सभी सदस्यो का पालना पोषण किया है एवं आज दिनांक तक जमीन का विक्रय नही किया है। तो अब क्यो करेगा? एवं वादी के पिता अभी जीवित है और पिता के जीवित रहते उनके पुत्र दादा से अपना हिस्सा नही मांग सकते है। वादीगण केवल परिवार के सभी सदस्यो के तंग व परेशान करने की नियत से दावा लेकर आये है।

अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो प्रतिवादीगणो को बैक लोन (किसान क्रेडिट कार्ड) एवं अन्य लाभो से वंचित होना पडेगा एवं परिवार के सभी सदस्य प्रभावित होगे एवं अन्त में अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकील उभय पक्षकारान पर मनन किया गया कि पत्रावली का अवलोकन व बहस वकील पर मनन करने पर यह विवेचन निकलता है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई आराजी है। जो वादीगण के दादा हीरा को विरासत में हरदेव से प्राप्त हुई है एवं मुताबिक सजरा हीरा के 5 पुत्र कंवरसिंह, चिरन्जीलाल, वेदप्रकाश (फौत) के वारिसान बलवन्त एवं राजेन्द्र तथा एक पुत्री राजेश जीवित संताने है एवं सभी 5 संतानो एवं वेदप्रकाश के वारिसान में से किसी के द्वारा भी उनके पिता के द्वारा जमीन बेचान की बात नही कही गई एवं ना ही सोचने समझने की क्षमता की क्षीण होना बताया गया तो मात्र वादीगण के कहने मात्र से यह नही माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण की सोचने समझने की शक्ति नही है। एवं वह भूमि का बेचान कर देगा। प्रतिवादी संख्या 1 रिकोर्ड खातेदार है। एवं उसकी किसी भी संतान को किसी तरह की कोई आपत्ति नही है। तो उनको पुत्र की पिता के जीवित रहते आपति उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रथम दृष्यता वादीगण को अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नही होनो के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा योग्य पाई जाती है।

—: आदेश :—

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अकित आराजी खसरा नम्बर 412/0.2300, 65/0.4700, 38/0.5300, 280/0.2200, 48/0.1300, 102/0.0600, 133/0.1100, 175/0.1300, 187/0.2300, 201/0.1000, 235/0.1200, 27/0.4600, 293/0.2000, 311/0.1300, 370/0.3900, 90/0.0300, 22/0.3800, 215/0.2000 है0 वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को सुसगत दस्तावेजातो के माध्यम से साबित करने में विफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज कर अप्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.07.2020 से मुक्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 21/05/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0